<u>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश–दशम्, कैमूर, भभुआ</u>

<u>प्रोवेट वाद संख्या–26 / 2017</u>

दिनांक 01.09.2021	आवेदिका की ओर से हाजिरी है। अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश</u>** आवेदिका की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.07.2019 अंतर्गत धारा–1 नियम 10 सी.पी.सी. पर मुख्य रूप से कथन किया गया है कि वादपत्र के पारा नंबर–2 में विपक्षी का नाम आया है, परन्तु वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या–2 विश्व मोहन सिंह, विपक्षी संख्या–3, कृष्ण मोहन सिंह, विपक्षी संख्या 4–माया देवी एवं विपक्षी संख्या 5–मंजू रानी को पक्षकार बनाने की कृपा की जाय। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र के पैरा नंबर–2 में उक्त विपक्षीगण का नाम विधिक उत्तराधिकारी के रूप में आया है। वाद के सही न्यायनिर्णयन हेतु विपक्षीगण का अभिलेख पर आना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका का आवेदन दिनांक 25.07.2019 अंतर्गत धारा–1 नियम 10 सी.पी.सी. को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवेदनानुसार वादपत्र में पक्षकार के रूप में नाम दर्ज करें। दिनांक 27.10.2021 वास्ते विपक्षी के उपस्थिति हेतु आवेदिका सम्मन नोटिस की आपेक्षिताएँ दाखिल करें। लेखापित ह0 / – अपर जिला न्यायाधीश–दशम् कैमूर, भभुआ दिनांक 01.09.2021